रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244120
CG-DL-E-03032023-244120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1004] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
No. 1004] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 1045(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. 753 (अ) दिनांक 17 फरवरी 2023 सं. 723 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के हिंदी भाग में क्रम संख्या 3 के स्थान पर अब निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

3. उक्त विनियमों में, विनियम 7 और 7(क) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"7. "आबंटन हेतु पात्रता- प्राधिकरण के हाउसिंग एस्टेट्स में आवासीय इकाई या फ्लैट ऐसे व्यक्ति को आबंटित किया जाएगा, जिसके पास अथवा उसके पति/पत्नी या अविवाहित संतान सहित उनके आश्रित संबंधियों के पास पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर, दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में संचयी रूप से 67 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लॉट/क्षेत्र या कुल मिलाकर 67 वर्ग मीटर से अधिक कुरसी क्षेत्रफल वाले फ्लैट/निर्मित आवास नहीं है/हैं:

बशर्ते कि इस विनियम में ऐसा कुछ भी ना हो जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को विकासशील क्षेत्र में स्थित बिना बिके हुए फ्लैट अथवा आवासीय इकाई के आबंटन को बिक्री के माध्यम से प्रभावित करे।

[फा. सं. एफ/1/0027/2019/कोर्ड/हाउसिंग(कोआर्डिनेशन)]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

1470 GI/2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.03 23:11:15 +05'30'